# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 36/2020 (2020/00313) दर्ज दिनांक 18.08.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

सुरेशचन्द्र आत्मज अम्बालाल जाट निवासी सिरोहीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः पर्वतसिंह चुण्डावत
पेरोकार सरकार

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम</u> ::

दिनांकः–09.09.2020

## :: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षी के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सिरोहीखेड़ा पटवार हल्का कांगणी तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 501 रकबा 0.08 हे0, 502 रकबा 0.01 हे0, 503 रकबा 0.72 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 129 पर स्थित है, जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 पेश है।

यह कि प्रार्थी की इन आराजियात में आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है लेकिन इन आराजियात की पूर्वी पाली पर बिलानाम आराजी संख्या 1339/523 रकबा 0.48 हे0 किस्म पाल स्थित है। इस आराजी में कोई पाल बनी हुई नहीं है और भूमि समतल पड़ी हुई है।

यह कि उक्त आराजी संख्या 1339/523 के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी में जाने का कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है और यह भूमि बिलानाम सरकार दर्ज होने के कारण कई लोग इस भूमि पर कब्जा जमा कर रास्ते को अवरूद्ध कर सकते है। प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए इस रास्ते की सख्त आवश्यकता है और आवश्यकता के हिसाब से प्रार्थी इस आराजी संख्या 1339/523 से होकर आवागम[illegible] है और इस हेतु डीएलसी रेट से भूमि की कीमत अदा करने के लिए तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:50:50 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी को अपनी आर[illegible] आराजी संख्या 1339/5[illegible] में से 40 फीट चौडाई व पुरी लम्बाई के रास्ते की आवश्यकता है और वे इसके लिए निर्धा[illegible] जमा करवाने के लिए तैयार है।



सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

यह कि प्रार्थी की आराजियात में आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

यह कि दिनांक 18.06.2020 को गांव के कतिपय लोगो द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की नियत से थोहर लगा दिये, जिनको हटा दिया गया है लेकिन वे पुनः सरकारी भूमि पर कब्जा कर सकते है

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थी की आराजियात में आवागमन के लिए बिलानाम आराजी संख्या 1339/523 में 40 फीट चौड़ाई व पूरी लम्बाई में रास्ता दिलाया जाकर उक्त आराजी की बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज कराया जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये।

विपक्षी पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक /राजस्व/ 20/514 दिनांक 02.09.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

**मौका पर्चा अनुसार :—**

—यह कि ग्राम सिरोही खेड़ा के आराजी नं0 501, 502, 503 किता 03 रकबा 0.81 हे0 भूमि में आवागमन हेतु वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है।

— यह कि मौके पर आराजी नं0 139/523 किस्म गै0मु0 पाल से आवागमन किया जा रहा है।

—यह कि मौके पर उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है।

— यह कि वर्तमान में उक्त आराजीयात में बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी नं0 1339/523 रकबा 0.48 हे0 किस्म गै0 मु0 पाल से होकर आवागमन किया जा रहा है।

— यह कि रास्ते हेतु उक्त आराजी नं0 1339/523 रकबा 0.48 हे0 भूमि में से 8 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिये जाने पर रास्ते हेतु 0.0150 हे0 भूमि प्रभावित होगी। ग्राम सिरोहीखेड़ा की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 208298/— रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.0150 हे0 की मालियत 3125/— रूपये होती है तथा इसकी दुगुनी राशि 6250/— रूपये होती है।

—यह कि प्रस्तावित रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में [illegible] से दर्शाया जाकर मय नकल जमाबंदी पत्र के साथ संलग्न है।

— यह कि मौका स्थिति व राजस्व रेकार्ड अनुसार [illegible] रास्ते के अतिरिक्त उक्त भूमि में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:50:50 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 36/2020 (2020/00373)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

वर वक्त सुनवाई प्रार्थी व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्राथी ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम सिरोहीखेड़ा पटवार हल्का कांगणी की आराजी संख्या 501., 502, 503 में आवागमन करने के लिऐ एक मात्र रास्ता बिलानाम गैर काबिल काश्त 1339/523 रकबा 0.48 हे0 किस्म गै0मु0 पाल से होकर जाने के अलावा अन्य कोई भी रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थी को अपनी कुषि भुमि आराजी नं0 501., 502, 503 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिऐ बिलानाम गैर काबिल काश्त 1339/523 रकबा 0.48 हे0 किस्म गै0मु0 पाल में से 8 मीटर चौड़ाई का रास्ता यानि 0.0150 हे0 भुमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम सिरोहीखेड़ा पटवार हल्का कांगणी की आराजी संख्या 501., 502, 503 में आने जाने के लिए बिलानाम गैर काबिल काश्त 1339/523 रकबा 0.48 हे0 किस्म गै0मु0 पाल में से 8 मीटर चौड़ाई का रास्ता यानि 0.0150 हे0 भुमि रास्ते हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 208298/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 3125/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 6250/–प्रार्थी विपक्षी यानी सरकार को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.0150 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा उक्तानुसार राशि 6250/– प्रार्थी से वसुल कर जरिये चालान नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम सिरोहीखेड़ा पटवार हल्का कांगणी की आराजी संख्या 501., 502, 503 में आने जाने के लिए बिलानाम गैर काबिल काश्त 1339/523 रकबा 0.48 हे0 किस्म गै0मु0 पाल में से 8 मीटर चौड़ाई का रास्ता यानि 0.0150 हे0 भुमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2020 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:50:50 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner